

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी

लालाराम पुत्र मुनाराम


किस्म प्रकरण : वाद पत्र

प्रतिवादीगण

बनाम

रामगोपाल वगैरह

संख्या - 116 / 2014

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
04.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2014 से अप्रार्थीगण की तलबी में लम्बित चल रहा है। प्रकरण में गत तारीख पेशी 19.12.2024 पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अन्तिम अवसर आगामी पेशी दिनांक 17.1.2025 तक तलबी नहीं कराने पर प्रकरण सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत प्रकरण में कार्यवाही की जाने हिदायत के साथ दिया गया। परन्तु वकील आज दिनांक तक अप्रार्थीगण की तलबी की जाने में असमर्थ रहे अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की अनुपालना नहीं की जाने पर सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो</p>	<p style="text-align: center;">  (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p>